

7-1-2021 को पेश हो। पत्रावली दिनांक

7/2

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का प्रमाणित  
कमलदय उपस्थित, प्रमाणित किया  
कमलदय कोर/अवकाश में तयराफ रखत है  
कमलदय दिनांक 1/4/21 को पेश हो

1/4

पत्रावली को वकील पदवाचक लिख है। प्रमाणित  
प्रमाणित प्रमाणित महोदय को। पत्रावली दिनांक/अनु  
पत्रावली में तयरीफ रखते है। पत्रावली दिनांक 1.7.21  
को पेश हो

1.7.21

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उपखण्ड उपस्थित  
पत्रावली पूर्व आवेशानुसार दि. 18.10.21  
को पेश हो।

11/10/21

पत्रावली पत्रावली पत्रावली गावां के लिंग अभियान के  
तहत केम्प कोर्ट खानपुरा में आज पेश  
हुई। प्रतिवादीगण के निरिस्त बाद लमील  
खेलन ही बाद के सम्बन्ध में तहसीलदार  
नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार  
रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा  
सं. 1479 रुबा 10.00 बीघा क्रि 5/10/1977  
के वादी बरधीलाल आठ लोडक्या के नाम  
आवंटित हुई थी। यह कि आवंटित भूमि पर  
वादी का कब्जा नहीं है। आवंटि का आवंटन  
खारिज हो चुका है तथा भूमि वर्तमान में  
सिवायचक्र दर्ज रिमाई है।

इसने बाद पत्र, शपथ-पत्र, पुस्तक  
रिमाई, दस्तावेज तथा जवाब तहसीलदार  
नैनवां का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली गांवे के  
संग अभियान 2021  
केम्प कोर्ट  
नोटिस जारी

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बुन्ही)



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटि के आवंटन पर खारिज का नोट प्रकित है तथा आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों का भी पालन नहीं किया है। अतः वादी को खातेदारी दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। घप्रावली बाद तम्मील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">५</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> नैनवां (बून्वी)</p>	